न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ...

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ...

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :- संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :- 167/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :-

1. रामकरण पुत्र पालिया जाति गूजर निवासी पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान
2. सरबती बेवा मातला जाति गूर्जर निवासी पहाडी तह0 बहरोड
3. बनारसी पुत्र मातला जाति गूर्जर निवासी पहाडी तह0 बहरोड
4. बर्फी पुत्री मातला जाति गूर्जर निवासी पहाडी तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान ----------फौत

4/1. अमरसिंह माता बर्फी देवी पिता जगदीश निवासी छाबडीबास बावरिया तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता जगदीश खुद

4/2. मिन्टू माता बर्फी देवी पिता जगदीश निवासी छाबडीबास बावरिया तहसील बानसूर जिला अलवर नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता जगदीश खुद :--------------अपीलांटान/वादीगण

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, बहरोड

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

थ अधिकारी ...

:-----रेस्पो0/प्रतिवादी

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,बहरोड
दिनांक 30.8.2017

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट :- श्री हरदान सिंह गूर्जर

2. राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक 9.3.2018

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30.8.2017 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का वाद बाबत घोषणात्मक एवं हुकम इम्तनाई दवामी खारिज किया गया है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1126 रकबा 36 एयर, 1127 रकबा 39 एयर, 1128 रकबा 45 एयर, जो साबिक खसरा नम्बर 556 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पहाडी तहसील बहरोड से कायम हुये हैं । खसरा नम्बर 1126, 1127, 1128 वाके ग्राम पहाडी को हाल राजस्व रिकार्ड में महकमा कस्टोडियन दर्ज कर दिया गया है, जबकि यह आराजी साबिक खसरा नम्बर 556 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा सम्वत 2020 में वादीगण के पिता पालिया व मातला की खातेदार में दर्ज थी तथा सम्वत 2038 में 1/2 भाग रामकरण पुत्र पालिया व1/2 भाग मातला पुत्र गोदा की खातेदारी में दर्ज थी । यह आराजी पैत्रिक है, लेकिन बंदोबस्त सम्वत 2042 में गलत तौर पर महकमा कस्टोडियन दर्ज कर दी गई । सम्वत 2042 में बंदोबस्त विभाग ने मिला क्षेत्रफल की टेबिल में हाल खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 को साबिक खसरा नम्बर 558 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा से बनना अंकित किया हुआ है और साबिक खसरा नम्बर 556 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा से नया नम्बर 1130 रकबा 43 एयर बनना अंकित किया हुआ है, जो गलत है । हाल व साबिक नक्शा का मिलान करते हैं तो खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 साबिक खसरा नम्बर 556 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा के स्थान पर है, लेकिन बंदोबस्त विभाग ने गलती से उक्त खसरा नम्बर को साबिक खसरा नम्बर 558 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से बनना अंकित कर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

दिया व उक्त खसरा नम्बरान को वादीगण की खातेदारी में अंकित करने की बजाय महकमा कस्टोडियन दर्ज कर दिया । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिकी किया जावे । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया है, जिसकी यह अपील है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील मीमो एवं वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विवादित भूमि कभी भी कस्टोडियन नहीं रही थी । यह भूमि हमारे पिता की खातेदारी में दर्ज थी, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में साबिक खसरा नम्बर का गलत हाल नम्बर नम्बर कस्टोडियन दर्ज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है । उसे साबिक इन्द्राज को केवल दोहराने का ही अधिकार है । इस ओर विद्वान तहत न्यायालय ने कतई गौर नहीं किया और गलत तौर पर वाद पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि विवादित भूमि पूर्व से ही कस्टोडियन भूमि रही है । कस्टोडियन भूमि पर राजस्थान टिनेंसी एक्ट के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते । इसके लिये आवंटन/नियमन कमेटी ही सक्षमह ै । इसके अतिरिक्त वादी अपीलांट ने जो मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है, वह मेल नहीं खाता है । अर्थात अपीलांट हाल खसरा नम्बर 1126, 1127 व 1128 को गत नम्बर 556 बनना बताता है, जबकि ये हाल नम्बर गत नम्बर 558 से बनाया गया है । वादीगण अपीलांटस दस्तावेजी साक्ष्य से अपना केस सिद्ध नहीं कर पाये हैं । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । जमाबन्दी सम्वत 2036 एग्जिविट –1 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ गत खसरा नम्बर 556 को रामकरण एवं मातला की खातेदारी में दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2055 एग्जिविट –2 में अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ हाल नम्बर 1126, 1127 व 1128 को महकमा कस्टोडियन दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी सम्वत 2020 एग्जिविट –7 में खसरा नम्बर अन्य खसरा नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 556 पर पालिया व मातला को खातेदार दर्ज किया हुआ है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042 एग्जिविट –3 के अनुसार खसरा नम्बर 558 से हाल नम्बर 1126, 1127 व 1128 बनाये गये हैं ।

6. उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि साबिक रेकार्ड में साबिक खसरा नम्बर 556 वादीगण के पिता की खातेदारी में दर्ज है ।अपीलांट इस साबिक खसरा नम्बर से हाल नम्बर 1126, 1127 व 1128 बनना बताता है, परन्तु जो मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2042

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार हाल नम्बर 1126, 1127 व 1128 साबिक नम्बर [illegible] बनाया गया है ।यह गलती कैसे हुई, यह जांच का विषय है । इसके अतिरिक्त साबिक व [illegible] नक्शेजात का भी अवलोकन अनिवार्य हो जाता है । वादीगण अपीलांट की खातेदारी व [illegible] खसरा नम्बर 556 से हाल नम्बर क्या बने हैं और इस साबिक खसरा नम्बर 556 से जो [illegible] नम्बर बने हैं, क्या वे वादीगण अपीलांट की खातेदारी में दर्ज हो गये थे अथवा नहीं, इस [illegible] विद्वान तहत न्यायालय ने कोई जांच नहीं की । अतः सम्पूर्ण राजस्व रेकार्ड, सम्पूर्ण कि[illegible] क्षेत्रफल, गत एवं हाल नक्शों आदि का पुनः अवलोकन कर निर्णय पारित करने हेतु तहत न्यायालय को रिमांड किया जाना न्यायोचित समझते हैं ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.2017 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहत न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि वो इस निर्णय के पैरा नम्बर 6 के परिप्रेक्ष्य में समस्त तथ्यों की जांच करते हुये सम्पूर्ण रेकार्ड का अवलोकन कर पुनः न्यायसंगत निर्णय पारित करें । उभयपक्ष वास्ते सुनवाई तहत न्यायालय में दिनांक 9.4.2018 को उपस्थित हों ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner